(2011) 3 एस. सी. आर 718

मैसर्स कुमाऊ बीज निगम व अन्य

विरुद्ध

कृषि उत्पादन मंडी समिति, काशीपुर व अन्य

दीवानी अपील संख्या 3630/2007

मार्च 3, 2011

(मार्कंडेय काटजू और ज्ञान सुधा मिश्रा, न्यायाधिपतिगण)

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम, 1964 प्रमाणित बीज बाजार भाव - बाजार समिति द्वारा डीलर को उगाही के संबंध में कारण बताओ नोटिस जो प्रमाणित बीजों के सदंर्भ में बीजों पर लगने वाली बाजार फीस के संबंध में थे - कारण बताओ नोटिसों को दीवानी दावों में चुनौती दी गई - उच्च न्यायालय द्वारा दावे खारिज किए गए। अपील में - निर्धारित किया गया कि उच्च न्यायालय को कारण बताओ नोटिसों की वैधता देखनी थी परंतु उसने मामले के गुणावगुण पर भी विचार व्यक्त कर दिए जो न्यायपूर्ण नहीं है। उच्च न्यायालय द्वारा कारण बताओ नोटिसों की वैधता की घोषणा करने के पश्चात् बाजार समिति ने डीलर्स को सुनने के लिए कोई तिथि निर्धारित नहीं की अपितु सीधे ही डीलर्स को बाजार फीस अदा करने के लिए नोटिस जारी किए जो औचित्यपूर्ण नहीं था। इसमें प्राकृतिक

न्याय के सिद्धांतों की अवहेलना हुई है अतः इन नोटिसों को रद्द किया गया। मार्केट समिति को इजाजत दी गई कि डीलर्स को नई तारीख तय कर ताजा नोटिस जारी किये जायें जिनमें सुनवाई का समय व स्थान निश्चित हो। उस तारीख को डीलर्स अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत कर सकते हैं। साथ ही वे अन्य साक्ष्य भी प्रस्तुत कर सकते हैं जो वे चाहें तथा इसके साथ ही बाजार समिति उनके मामले में युक्तियुक्त आदेश पारित कर मामले का निर्णय करे -

प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार

अपील संख्या 3630/2007

(उत्तरांचल (नैनीताल) के निर्णय व आदेश दिनांक 07.07.2005 के विरुद्ध प्रथम अपील सं. 1073/2001 दीवानी अपील सं. 3631/2007 पी. एस. पटवालिया, विभा दत्ता माखीजा, अपीलार्थी की ओर से सुनील चन्द्रा, रचना श्रीवास्तव प्रत्यर्थीगण की ओर से न्यायालय द्वारा निम्न आदेश प्रसारित किया गया।)

आदेश

1. उपस्थित पक्षकारों के विद्वान अभिभाषकगण को सुना गया।

2. ये अपीलें उच्च न्यायालय उŸारांचल वर्तमान में उŸाराखण्ड के निर्णय व आदेश दिनांक 07.07.2005 जो प्रथम अपील 1072/2001 व प्रथम अपील 1073/2001 में पारित किये गये के विरुद्ध प्रस्तुत की गई।

3. अपीलार्थीगण प्रमाणित बीजों के डीलर हैं तथा उन बीजों पर उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम, 1964 के तहत बाजार फीस लगाना चाहते हैं। प्रत्यर्थीगण ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किए। जिन पर अपीलार्थीगण ने दीवानी दावे प्रस्तुत किए जो उच्च न्यायालय तक पहुंचे। उच्च न्यायालय ने इन दावों को ऊपर वर्णित निर्णयों द्वारा खारिज कर दिया।

4. हमारी राय में उच्च न्यायालय को मामले के गुणावगुण पर नहीं जाना चाहिए था क्योंकि वे सिर्फ कारण बताओ नोटिस की वैधता पर विचार कर रहे थे तथा मामले के गुणागुण पर तय नहीं कर रहे थे। हालांकि प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय द्वारा मामले के गुणावगुण पर भी उपरोक्त निर्णय में टिप्पणियां की गई हैं जो न्यायपूर्ण नहीं हैं।

5. उच्च न्यायालय द्वारा कारण बताओ नोटिसों की वैधता मानने के पश्चात सम्बन्धित बाजार समिति को अपीलार्थीगण को तारीख समय व स्थान तय करते हुए नोटिस जारी करने चाहिए थे जिससे अपीलार्थीगण की सुनवाई हो सके और उक्त सुनवाई में अपीलार्थीगण व्यक्तिशः अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा उपस्थित हो सके तथा अपने ऐतराज अथवा अन्य साक्ष्य प्रस्तुत कर सके जो वे प्रस्तुत करना चाहें और उसके पश्चात ही मामले को एक या दूसरे प्रकार से तय किया जाना चाहिए था। बाजार समिति द्वारा लिखित में आदेश पारित करना चाहिए था जिसमें डीलर के जवाब व अन्य साक्ष्य प्रस्तुत की गई का हवाला हो।

6. यह प्रतीत होता है कि उपरोक्त प्रक्रिया की पालना नहीं की गई अतः हमारी राय में न्याय के प्राकृतिक सिद्धांतों की अवहेलना हुई है।

7. उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय के पश्चात सम्बन्धित बाजार समिति ने कोई तारीख समय व स्थान अपीलार्थीगण की सुनावाई के लिए तय नहीं किया बल्कि सीधे ही 27.07.2005 के नोटिस द्वारा अपीलार्थीगण को प्रमाणित बीजों पर बाजार फीस जमा कराने का निर्देश दिया। हमारी राय में यह युक्तियुक्त नहीं है। अतः हम नोटिस दिनांक 27.07.2005 को निरस्त करते हैं। लेकिन बाजार समिति को इजाजत देते हैं कि वे अपीलार्थीगण को नये नोटिस जारी करें जिनमें तारीख समय व स्थान सुनवाई के लिए नियत किए गए हों और उस तारीख को अपीलार्थीगण अपनी प्रतिक्रिया व अन्य साक्ष्य जो वे प्रस्तुत करना चाहें प्रस्तुत कर सकें। उसके पश्चात सम्बन्धित बाजार समिति एक युक्तियुक्त लिखित आदेश द्वारा मामले को निर्णीत कर सकती है लेकिन उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय में की गई टिप्पणियों से प्रभावित न हों।

8. हम यह स्पष्ट करते हैं कि हम इस विवाद के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे। हम सम्बन्धित अधिकारियों को मामले में अपीलार्थीगण को सुनने के लिए मामला खुला छोड़ते हैं जैसा कि हमने ऊपर बताया है।

9. उक्त अपीलों को उक्तानुसार निस्तारित किया जाता है - कोई हर्जाना नहीं।

अपील निस्तारित की गई।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

<u>अस्वीकरण</u> - इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।